

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

पत्रावली नं० 68
17

निर्णय दिनांक 16.10.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का बापम द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.9.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल ~~उपस्थित~~ / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का बापम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल शकेन्द्र पुत्र नवलकिंद कौम निखत निवासी सिद्धपुर तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0 न0 515/209 किस्म अ.2.ग.रकवा 3.14 बांके ग्राम विहरी पर बापम की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल ~~उपस्थित~~ / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 12000 की 50 गुनी से शास्ति राशि 6000 रुपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 का मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राशि 6000 पंजीकी के

पत्र नं० 33 क्रम नं० 21

को तलब की गई

Ravi
6/12/10

TRA
राजाखेडा

पु
तहसीलदार
राजाखेडा